



कार्यालय नगरनिगम, अजमेर

पृथ्वीराजमार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोननं. 0145-2429971, 2429920
ईमेलआईडी :- ajmermc@gmail.com वेबसाईट :- www.ajmermc.org

नये सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र मूल्य -100/-

घरेलू सीवर कनेक्शन शुल्क - 500/-

व्यवसायिक व अन्य उपयोग हेतु सीवर कनेक्शन शुल्क -2,000/-

(आवेदन द्वारा भरा जावे, जो लागू हो उस खाने में (√) करें अन्य खाने में (x) करें।)

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहां सीवर संबंध लेना है
4. मोबाईल नं.
5. मकान/व्यवसायिक परिसर का कुल क्षेत्रफल
6. आवेदक की स्थिति: मालिक/किरायेदार/कब्जेदार
7. जल संबंध की खाता संख्या E-Mitra Key no.
9. (क) आवेदक का स्थायी पता
10. (ख) आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता
11. सीवर संबंध का प्रयोजन : घरेलू/व्यवसायिक/औद्योगिक जगह 12. प्रकार: स्थाई/अस्थायी

मैं सीवरेज नियमों के संबंध में राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी/प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं। अन्यथा नगरपालिका नियम 2009 में निहित प्रावधानों के तहत कारवाई अमल में लाई जावेगी।

सीवर उपभोक्ता के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :

1. उपभोक्ता के घर के बाहर बने निरीक्षण चैम्बर, मेनहोल व प्रोपट्री चैम्बर/गली ट्रेप चैम्बर की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
2. सीवर मेनहोल में घर के सीवर कनेक्शन के दौरान यदि कोई टूट-फूट निरीक्षक चैम्बर/प्रोपट्री चैम्बर की है तो उससे उपभोक्ता अपने खर्च पर दुरुस्त करेगा अन्यथा निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी डिमाण्ड के अनुसार निगम कोष में राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई जावेगी।
3. सीवर कनेक्शन में घर के रसोई, स्नानघर व लैट्रिन का कनेक्शन कराया जाना अनिवार्य है। उपभोक्ता यह भी सुनिश्चित करें कि घर के रसोई, बाथरूम का ठोस कचरा सीवर लाईन में नहीं आवे इसके लिए चैम्बर में लोहे की जाली लगावे।
4. गली ट्रेप चैम्बर की सफाई की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
5. उपभोक्ता/आवेदक को हाऊस सीवर कनेक्शन लैट्रिन के आउटलेट या सेप्टिक टैंक के इनलेट से ही प्रोपट्री/निरीक्षण चैम्बर में करना होगा। सेप्टिक टैंक उपभोक्ता के स्वयं के स्तर पर खाली किया जावेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(आवेदनकर्ता)

मोबाईल नम्बर :